संघ लोक सेवा आयोग

बनाम

सुकान्ता कर व अन्य

मई 8, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत और लोकेश्वर सिंह पंता, जे.जे.)

सेवा कानून

भर्ती- पदोन्नति द्वारा- पात्रता- केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्रालय के पर्यावरण संगठन में उप सलाहकार (प्रशिक्षण) के पद के लिये प्रत्यर्थी संख्या-1 की पात्रता के संबंध में विवाद- प्रत्यर्थी संख्या-1 एक विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी है- न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने यह माना कि वह पात्र था- सत्यता- अभिनिर्धारित सही नहीं- क्योंकि प्रत्यर्थी संख्या-1 के पास नियमों के तहत् निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी- कार्य और आवास मंत्रालय, उप सलाहकार (प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 1985।

वर्तमान अपील में विवाद शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संगठन में उप सलाहकार (प्रशिक्षण) के

पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये प्रत्यर्थी संख्या-1 की पात्रता से संबंधित है। प्रत्यर्थी संख्या-1 एक विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी है।

अपीलार्थी के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या-1 अयोग्य है, क्योंकि उसके पास कार्य और आवास मंत्रालय, उप सलाहकार (प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 1985 में निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है अर्थात् किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री।

प्रत्यर्थी संख्या-1 ने यद्यपि तर्क दिया कि उसके पास मास्टर ऑफ साईन्स की डिग्री है और वैज्ञानिक के रूप में 5 साल की सेवा प्रदान करने के बाद उससे सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की उम्मीद नहीं की जा सकती है। उसने तर्क दिया कि भर्ती नियमों की अनुसूची के कॉलम 11 (2) में दिये गये विशेष प्रावधानों के सन्दर्भ में, एक विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा 5 साल की नियमित सेवा पर्याप्त है और सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि अनुसूची के कॉलम 7, 8 और 10 में निर्धारित किया गया है।

भर्ती नियमों की व्याख्या कर न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने प्रत्यर्थी संख्या-1 को पात्र माना। इसलिये वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपील की अनुमति देते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः- 1. भर्ती नियमों के कॉलम 8 में यह प्रावधान किया गया है कि पदोन्नति के लिये भी वही शैक्षणिक योग्यता होगी जो सीधी भर्ती वालों के लिये है परन्तु आयु पात्रता नहीं। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि क्या सीधी भर्ती वालों के लिये निर्धारित आयु व शैक्षणिक योग्यता ही पदोन्नति वालों पर लागू होगी तो आयु के मामले में उत्तर नकारात्मक है, जबकि शैक्षणिक योग्यता के मामले में उत्तर सकारात्मक है। (पैरा 10 व 11) (131-ई-एफ, 132-सी)

2. सीधी भर्तियों के लिये आवश्यक योग्यता, विशेष रूप से खण्ड 7 (i) (ए) में प्रदत्त की गयी है जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है। भर्ती के स्रोत पदोन्नति, स्थानान्तरण और प्रतिनियुक्ति के रूप में इंगित है। खण्ड 7 (i) (ए) के तहत् प्रदान की गयी शैक्षणिक योग्यता को किसी भी प्रकार से कम नहीं आँका गया है। खण्ड 11 (2) केवल स्रोत इंगित करता है अर्थात् स्थायी वैज्ञानिक अधिकारी। वास्तव में, भारत सरकार के शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अक्टूबर, 2001 के पत्र में छूट की बात की गयी है। दिलचस्प बात यह है कि सभी आवेदकों के संबंध में भारत संघ द्वारा किये गये मूल्यांकन में, जहां टिप्पणियों का संकेत दिया गया है, संघ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रत्यर्थी संख्या-1 पात्र नहीं था क्योंकि उसके

पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। पत्र दिनांकित 21.03.2002 में संघ के रूख को प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा किये गये अभ्यावेदन के आधार पर बदल दिया गया था। संघ का रूख अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रतीत होता है। प्रारम्भ में प्रत्यर्थी संख्या-1 के आवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि वह अयोग्य था। न्यायाधिकरण के समक्ष उसका रूख बदल दिया गया था। नियम 12, जो पुष्टि की बात करता है, के अनुसार केवल उन्हीं लोगों की पुष्टि की जा सकती है जिन्हें पदोन्नत किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित नहीं थे कि प्रत्यर्थी संख्या-1 पात्र था। ऊपर किये गये विश्लेषण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि उसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। (पैरा 12) (132-डी-जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2387/2007

सिविल रिट याचिका संख्या 7572/2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय और आदेश दिनांकित 01.03.2005 से

एस. के. मिश्रा, के. वी. मोहन तथा अनुज राजपूत अपीलार्थी की ओर से।

आर. मोहन, एएसजी, वी. के. वर्मा प्रत्यर्थी की ओर से तथा प्रत्यर्थी सुकान्ता कर-व्यक्तिगत रूप से

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत द्वारा पारित किया गया। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता-संघ लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'यूपीएससी' के रूप में) दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाता है, जिसमें अपीलकर्ता-यूपीएससी द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') द्वारा पारित आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था।

3. विवाद बहुत ही संकीर्ण दायरे में है। जो शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संगठन में उप सलाहकार (प्रशिक्षण) के पद के लिये प्रत्यर्थी संख्या-1 की पात्रता से संबंधित है।

4. अपीलार्थी के अनुसार वह अपात्र है, लेकिन न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने माना है कि कार्य और आवास मंत्रालय उप सलाहकार (प्रशिक्षण) भर्ती नियम, 1985 (संक्षेप में ''भर्ती नियम'') की व्याख्या करने पर वह पात्र था।

5. संक्षेप में तथ्यात्मक पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः- प्रत्यर्थी संख्या-1 एक विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी है। उन्होंने यह रुख अपनाया कि अपीलार्थी-यूपीएससी ने गलत तरीके से उसे उप सलाहकार (प्रशिक्षण) के

पद पर पदोन्नति पर भर्ती के लिये अयोग्य घोषित कर दिया था। अपीलार्थी का विचार था कि उसके पास उक्त "भर्ती नियमों" की अनुसूची के कॉलम 8 में निर्धारित अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या-1 ने यह रूख अपनाया कि वह पात्र है। अपीलार्थी के अनुसार, अनुसूची का कॉलम 11 (2) केवल तभी लागू होगा जब विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता यानि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या विकल्प में अन्य समकक्ष योग्यता हो। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने कॉलम 7, 8 व 10 के प्रभाव पर विचार नहीं किया, जिन्हें एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है और भर्ती नियमों के कॉलम 11 (2) के प्रावधानों के अपवाद के रूप में पढ़ा जाना चाहिये ना कि अनुसूची के कॉलम 8 को। प्रत्यर्थी संख्या-1 का रूख यह था कि उसके पास मास्टर ऑफ साईन्स की डिग्री थी और वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में 5 साल की नियमित सेवा प्रदान करने के बाद उनसे सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भर्ती नियमों के तहत् इस शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं थी और इसलिये कॉलम 11 (2) में विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी के लिये 5 साल की नियमित सेवा की आवश्यकता के लिये विशेष प्रावधान किये गये है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि उप सलाहकार (प्रशिक्षण) के पद से संबंधित कॉलम 12 पुष्टि पर विचार करने के उद्देश्य से विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में ''डीपीसी'') की संरचना

को इंगित करता है अर्थात् उप सलाहकार (प्रशिक्षण) की सेवा की पुष्टि के लिये। अतः भर्ती नियमों का ईरादा स्पष्ट है कि विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी को इस पद पर पदोन्नत किया जाना है, बशर्ते कि उसके पास ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा हो और उसे इस पद के लिये चुना गया हो। इसलिये एक विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी को सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या कॉलम 7, 8 और 10 में निर्धारित समकक्ष योग्यता की शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण नहीं करना था।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2-भारत संघ ने न्यायाधिकरण द्वारा लिये गये दृष्टिकोण का समर्थन उच्च न्यायालय के समक्ष किया।

7. उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रावधानों के उचित अध्ययन पर और खण्ड 11 (2) के तहत विशेष प्रावधान करने के पीछे के ईरादे को देखते हुए, यह स्पष्ट था कि इसका उद्देश्य विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी को पदोन्नति का अवसर प्रदान करना था। तद्नुसार न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की गयी है।

8. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष उठाये गये रूख को इस अपील में पक्षों द्वारा दोहराया गया है।

9. प्रतिद्वंदी तर्कों का मूल्यांकन करने के लिये अनुसूची के विभिन्न कॉलम पर ध्यान देना आवश्यक है।

10. भर्ती नियमों के कॉलम 8 में यह प्रावधान किया गया है कि सीधी भर्तियों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी, लेकिन आयु योग्यता नहीं। कॉलम 9 पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों द्वारा सीधी भर्तियों की परिवीक्षा अवधि से संबंधित है। पद के लिये भर्ती की प्रणाली कॉलम 10 में निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार हैः-

> "अल्पकालिक अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति पर पदोन्नति/स्थानांतरण द्वारा, अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा"।
>
> कॉलम 11 इस प्रकार हैः-
>
> ''पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (अल्पकालिक अनुबंध सहित):-
>
> (1) केन्द्र/राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/अर्ध-सरकारी सांविधिक या स्वायत्त संगठन के अधीन अधिकारीः-
>
> (ए)(i) समान पदों पर आसीन; या
>
> (ii) 1100-1600 रुपये या समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष की सेवा के साथ; और

(बी) कॉलम 7 में सीधी भर्तियों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले

(2) ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय वैज्ञानिक अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा और यदि उसे पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा नियुक्त माना जाएगा।"

11. जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि क्या आयु और शैक्षणिक योग्यता, जो सीधी भर्तियों के लिये निर्धारित है, पदोन्नति के मामले में लागू होगी तो यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि उम्र के मामले में उत्तर नकारात्मक है, जबकि शैक्षणिक योग्यता के मामले में यह सकारात्मक है।

12. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीधी भर्तियों के लिये आवश्यक योग्यता, खण्ड 7(i)(ए) में विशेष रूप से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या समकक्ष प्रदान की गयी है। भर्ती का स्रोत पदोन्नति, स्थानान्तरण और प्रतिनियुक्ति के रूप में संकेतित है। खण्ड 7 (i)(ए) के तहत् प्रदान की गई शैक्षणिक योग्यता किसी भी तरह से कम नहीं है। खण्ड 11 (2) केवल स्रोत अर्थात् स्थायी वैज्ञानिक अधिकारी को इंगित करता है। वास्तव में, भारत सरकार, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का अक्टूबर 2001 का पत्र छूट की

बात करता है। दिलचस्प बात यह है कि भारत संघ द्वारा सभी आवेदकों के संबंध में किये गये मूल्यांकन में जहां टिप्पणियों का संकेत दिया गया है, संघ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि प्रत्यर्थी संख्या-1 पात्र नहीं था क्योंकि उसके पास अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। पत्र दिनांकित 21.03.2002 में संघ के रूख को प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा किये गये अभ्यावेदन के आधार पर बदल दिया गया था। संघ का रूख अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रतीत होता है। प्रारम्भ में प्रत्यर्थी संख्या-1 के आवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि वह अयोग्य था। न्यायाधिकरण के समक्ष उसका रूख बदल दिया गया था। नियम 12, जो पुष्टि की बात करता है, के अनुसार केवल उन्हीं लोगों की पुष्टि की जा सकती है जिन्हें पदोन्नत किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित नहीं थे कि प्रत्यर्थी संख्या-1 पात्र था। ऊपर किये गये विश्लेषण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उसके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं थी।

13. अपील को अनुमति दी जानी चाहिये, जिसे हम निर्देशित करते हैं लेकिन लागत पर बिना किसी आदेश के।

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायाधिकारी प्रशान्त शर्मा, (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।